

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 12 जुलाई, 2005/आषाढ 21, 1927(शक)

सं. 101

विषय : सदस्य की नजरबंदी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली को सम्बोधित,
एस.एच.ओ., कृष्णा नगर, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

“मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य, डॉ. हर्ष वर्धन को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत रोड़ न. 57, स्वर्ण सिनेमा के सामने, दिल्ली से दिनांक 09.07.2005 को 1136 बजे नजरबंद किया गया।

उन्हें, उसी दिन एवं उसी स्थान से 1145 बजे रिहा कर दिया गया” ।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Tuesday 12th July, 2005/21 Ashadha 1927 (Saka)

No. 101

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Krishna Nagar, Delhi:

"I have the honour to inform you that Dr. Harash Vardhan, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 from Road No. 57, Opp. Swarn Cinema, Delhi at 1136 Hrs. on 9.7.2005.

They were released at 1145Hrs. from the same place and same date."

SIDDHARATH RAO
SECRETARY